

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.9(2)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक 21 MAR 2016

आदेश

यत् राज्य सरकार ने कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 6 के खण्ड-I के कम संख्या 3 के अन्तर्गत गंगापुर सिटी को जिला कारागार की सूची में सम्मिलित किया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 6 के खण्ड-I के कम संख्या 4 के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर को उप कारागार की सूची में सम्मिलित किया गया है।

यत् राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार गंगापुर सिटी को उप कारागार एवं उप कारागार सवाईमाधोपुर को जिला कारागार घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(कृष्ण कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6. उप अधीक्षक, जिला कारागार, सवाईमाधोपुर।
7. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

६०

शासन उप सचिव